दिनांक 15.2.18 को पेश हो।

15.2.18 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलकर्ता हाजिर। बजाते प्रकरण दिनांक 30.5.18 को पेश हो।

30.5.18
वकील अपीलकर्ता हाजिर / श्री ओ. साहब
दौरे पर / दौरा पर होने के कारण पत्रावली
वास्ते प्रकरण 18.9.18 को पेश हो।

1.6.2018 पत्रावली प्रकरण लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2018 केस निस्तारे हेतु। मे प्रस्तुत हुई। अपीलकर्ता हाजिर। लिये बहस हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया पश्चात बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षिप्त मे मामला इस प्रकार है कि मौजा केसर खेड़ी प० ह० केसर खेड़ी वकील कपादन की आ०क० 1047 रकबा 0.03 हे. में प्रत्यर्थीगण व अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज है। जिसके अप्रत्यर्थीगण का कोई लेना-देना नही है व पजरन प्रवेश कर रहे है। व निर्माण कार्य कर रहे है। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया प्रथम दृष्टया मामला प्रत्यर्थीगण के पक्ष मे बनता है। अतः निर्णय लिया जाता है कि मौके के निस्तारण तक आ०क० 1047 मे अप्रार्थी लेखा 1,2 पजरन प्रवेश नही करे, नीव नही खोदे व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकारे कम हो। आदेश सुनाया गया।

(अशोक गोयल)
राजस्व अपील अधिकारी एवं
एस.डी.ओ. कपासन,
(चित्तौड़गढ़)

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner